भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-48

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घर

***48. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः**
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित देश में पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे इच्छुक अविद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में ऐसे सभी इच्छुक गरीब घरों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत विद्युतीकृत किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने 'रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम' (आरडीएसएस) शुरू की है और यदि हां, तो आरडीएसएस के प्राथमिक उद्देश्यों और बिजली बितरण क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उठाए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों/कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना सभी नागरिकों को विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान किए जाने के भारत के दृष्टिकोण से किस प्रकार संरेखित है;

(घ) उक्त योजना के माध्यम से वितरण क्षेत्र में घाटे को कम करने के लिए निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यनीति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आरडीएसएस के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और उत्क्त योजना को अपनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है:

(च) उक्त योजना के तहत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और भागीदार राज्यों के मध्य वित्तपोषण का वितरण किस प्रकार किया जाता है; और

(छ) बिजली कटौती को कम करने और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के संदर्भ में उक्त योजना से उपभोक्ताओं की किस प्रकार लाभ हुआ?

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

"सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों" के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 48 के संबंध में भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को बिजली कनेक्शन देने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है।

राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से दिनांक 31.03.2022 तक लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। महाराष्ट्र राज्य के लिए, कुल 5,89,242 घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्रिड के माध्यम से क्रमशः 5,42,914 और 15,790 घर और ऑफ-ग्रिड मोड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 30,538 घर शामिल हैं। सौभाग्य के तहत सभी संस्वीकृत कार्य पूरे हो चुके हैं और स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है। इसके अलावा, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए 9,036 घरों के लिए विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

(ख) से (छ) : आरडीएसएस को भारत सरकार ने जुलाई 2021 में शुरू किया था। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वितरण उपयोगिताओं यानी डिस्कॉम/विद्युत विभागों (पीडी) को वितरण क्षेत्र की प्रचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि विद्युत की गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति की जा सके। इस स्कीम में अखिल भारतीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करने और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर गैप) के बीच के अंतर को वर्ष 2024-25 तक शून्य करने की परिकल्पना की गई है।

आरडीएसएस का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है, जिसमें 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है। स्कीम की अवधि 5 वर्ष (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए है। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 48 डिस्कॉम ने आरडीएसएस के तहत सहभागिता की है।

किसी यूटिलिटी के लिए एटीएंडसी हानियाँ और एसीएस-एआरआर गैप उसके कार्य निष्पादन के प्रमुख वित्तीय और प्रचालन संकेतक हैं। हानियाँ सीधे नकदी प्रवाह को प्रभावित करती हैं और उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, जिससे उन्हें उपभोक्ताओं को महंगी विद्युत की आपूर्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एटीएंडसी हानियाँ और एसीएस-एआरआर अंतर में कमी से इन यूटिलिटियों के वित्त में सुधार होता है, जिससे वे प्रणाली को बेहतर ढंग से बनाए रखने और आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत खरीदने में सक्षम होंगे; जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

इन हानियों को दूर करने के लिए, स्कीम के तहत अनिवार्य अर्हता-पूर्व मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और तिमाही लेखे का समय पर प्रकाशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सब्सिडी और सरकारी विभागों की बकाया राशि का समय पर जारी करना, नियामक परिसंपत्तियों का कोई नया निर्माण नहीं करना, सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रीपेड मीटरिंग, जेनको बकाया का समय पर भुगतान और टैरिफ एवं ट्रू अप ऑर्डर का समय पर प्रकाशन शामिल है। परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के तहत उल्लिखित मापदंडों के खिलाफ यूटिलिटी के कार्य निष्पादन के आधार

पर, जिसमें प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के खिलाफ उपलब्धि शामिल है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार, सहायता को कार्य निष्पादन से जोड़ा गया है।

इसके अलावा, हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए आरडीएसएस के तहत 2.77 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है **(राज्यवार विवरण अनुबंध पर दिया गया है)।** संस्वीकृत अवसंरचना कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और अब तक लगभग 17% की वास्तविक प्रगति हासिल की गई है।

प्रस्तावित कार्यों के लिए डीपीआर, वितरण सुधार समिति (डीआरसी) की सिफ़ारिश के बाद राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से, यूटिलिटियों द्वारा उनके सामने आने वाले विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जाती है, जिसे बाद में आरडीएसएस के तहत गठित निगरानी समिति द्वारा स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। यूटिलिटियों को नुकसान कम करने के कार्यों के लिए दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता अनुमोदित परियोजना लागत की 60% है, जबकि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह 90% तक सीमित है। इसके अलावा, स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार, फीडरों, वितरण ट्रांसफार्मर और मीटर लगाए जाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए की गई अन्य पहलों में विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022, ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के नियम शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें अनुरूप हों, विद्युत क्षेत्र सुधारों से जुड़े राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5% का अतिरिक्त बोरोइंग स्पेस हो, यूटिलिटियों आदि के कार्य निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड हों।

किए गए सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटियों की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2013 में 25.5% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 15.37% हो गई है और एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 2013 में 0.84 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 0.45 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति के घंटे वित्त वर्ष 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गए हैं। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों के लिए यह वित्त वर्ष 2014 में 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 23.4 घंटे हो गए हैं।

लो.स.तारां.प्र.सं. 48

अनुबंध

आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार लागत

राज्य/डिस्कॉम	मीटरिंग की संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत हानि न्यूनीकरण लागत (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत कुल परिव्यय (करोड़ रूपये)	मीटरिंग कार्यों के लिए संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत जीबीएस हानि न्यूनीकरण (करोड़ रूपये)	कुल जीबीएस (करोड़ रूपये में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	54	462	516	12	416	428
आंध्र प्रदेश	4,128	10,687	14,814	815	6,412	7,227
अरुणाचल प्रदेश	184	1,034	1,217	54	930	985
असम	4,050	3,395	7,444	1,052	3,055	4,107
बिहार	2,021	7,320	9,341	412	4,392	4,804
छत्तीसगढ़	4,105	3,964	8,070	804	2,379	3,183
दिल्ली	13	324	337	2	194	196
गोवा	469	247	716	95	148	243
गुजरात	10,642	6,089	16,731	1,885	3,653	5,538
हरियाणा	0	6,797	6,797	0	4,078	4,078
हिमाचल प्रदेश	1,788	2,327	4,115	466	2,094	2,560
जम्मू एवं कश्मीर	1,064	4,771	5,835	272	4,294	4,566
झारखंड	858	3,344	4,202	191	2,006	2,197
कर्नाटक	-	4	4		2	2
केरल	8,231	3,011	11,243	1,413	1,807	3,220
लद्दाख	-	876	876		788	788
मध्य प्रदेश	8,911	9,516	18,426	1,504	5,709	7,213
महाराष्ट्र	15,215	17,209	32,424	2,840	10,326	13,165
मणिपुर	121	615	737	38	554	592
मेघालय	310	1,232	1,542	86	1,109	1,195
मिजोरम	182	319	500	61	287	348
नागालैंड	208	461	668	60	415	474
पुदुचेरी	251	84	335	56	51	107
पंजाब	5,769	3,873	9,642	960	2,324	3,284
राजस्थान	9,715	17,427	27,142	1,686	10,456	12,142
सिक्किम	97	416	514	30	375	405
तमिलनाडु	19,235	9,568	28,803	3,398	5,741	9,139
तेलंगाना	-	7	7		4	4
त्रिपुरा	319	555	874	80	500	580
उत्तर प्रदेश	18,956	21,612	40,568	3,501	12,967	16,468
उत्तराखंड	1,106	1,697	2,803	310	1,527	1,837
पश्चिम बंगाल	12,670	7,223	19,893	2,089	4,334	6,423
कुल योग	**1,30,671**	**1,46,465**	**2,77,136**	**24,173**	**93,327**	**1,17,500**

****